



अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0

Court
Presented by
Ad. Surendra Singh
 हनुमानगढ

ब अदालत ए सी साहब
 छोटु राम पुत्र चिमन लाल जाति जाट थनवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

—वाक

बनाम

—प्रतिवा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

दावा बाबत घोषणा

श्रीमानजी,

वाद वादी निम्न प्रकार से है -

- 1- यह कि मुझ वादी का डाक का पता उपरोक्त शीर्षक मे अंकित है जो सही
- 2- यह कि मुझ वादी के नाम वाके चक 44 एन जी सी खाता संख्या 52/27.653 है0 मे से 1/5 हिस्सा व वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 75/39 की व मे 103/1029 हिस्सा, व इसी चक के खाता संख्या 173/160 मे 3.782 है0 भूमि मे है0 भूमि व इसी चक के खाता संख्या 71/65 मे 1.113 है0 भूमि दर्ज राजस्व रि कार्ड जमाबंदी वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 75/39, 173/160, 71/65 सम्बन्धित चक 44 एन जी सी खाता संख्या 52/27 सम्बन्धित 2074-2077 हमराह पेश है।
- 3- यह कि मुझ वादी का नाम छोटु राम है। परन्तु राजस्व रि कार्ड चक 49 एन जी सी संख्या 75/39 व इसी चक के खाता संख्या 173/160 व इसी चक के खाता संख्या 71/65 वादी का नाम छोटु लाल दर्ज हो गया है जिससे मुझ वादी को अपनी खातेदारी भूमि व उपभोग करने मे परेशानी होती है तथा मुझ वादी के समस्त दस्तावेज जमाबंदी वादी जी सी खाता संख्या 52/27 मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सभी मे वादी का नाम छोटु राम है जबकि राजस्व रि कार्ड मे वादी का नाम छोटु लाल है जो बैंक लोन व बच्चो के जरूरी कागजात बनाने मे परेशानी होती है एवं मुझ वादी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने के लिए कि वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 75/39 व इसी चक के खाता संख्या 173/160 व इसी चक के खाता संख्या 71/65 मे वादी का नाम छोटु लाल के स्थान पर छोटु राम कि

छोटु राम

15.03.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी द्वारा पेश वाद पत्र धारा 88 आर.टी.ए. के तथ्य कि वादी छोटूराम के नाम चक नम्बर 49 एन.जी.सी. खाता संख्या 75/39, 173/160 पत्थर नम्बर 71/65 मे कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड हे। उक्त खातो मे वर्णित भूमि मे वादी का नाम छोटूलाल वल्द चिमनलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटूराम वल्द चिमनलाल है, साक्ष्य के तोर पर पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व जनआधार की प्रति भी सलग्न वादपत्र की गई।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किय गया। तहसीलदारा राजस्व हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक एल. आर/24/136 दिनांक 12.01.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमे वादी छोटूराम व छोटूराम वल्द चिमनलाल एक ही व्यक्ति के नाम तथा छोटूराम की जगह छोटूराम किया जाना उचित है कि रिपोर्ट प्रेषित की है। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात से वादी का नाम छोटूराम होने की पुष्टि होती है। इसलिए आदेश हे कि वादी संख्या 1 छोटूराम के नाम चक 49 एन.जी.सी. खाता संख्या 75/39, 172/160, 71/65 मे खातेदार छोटूलाल वल्द चिमनलाल की जगह छोटूराम बल्द चिमनलाल दूरुस्ती की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Chump